उत्तराखण्ड जिसे देव भूमि के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध प्रकार की ऊंची पर्वतीय चोटियों एवं प्रचुर जैव विविधता का धनी है| यहां लगभग 90 पर्वत शिखर पर्वतारोहण हेतु खुले हुए हैं । यह क्षेत्र उत्तर भारत की अनेक नदियों का शीर्ष जलागम क्षेत्र है और जैव विविधता का प्राकृतिक भण्डार है । पर्वतारोहण गतिविधियां एवं नाजुक हिमालयी पर्यावरण के बीच संतुलन बनाये रखना एक चुनौती है जिसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं :-

आवेदन हेतु प्रक्रिया

(अ) विदेशी नागरिकों द्वारा प्रस्तावः-

1. विदेशी नागरिकों द्वारा उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण हेतु कोई भी प्रस्ताव, सर्वप्रथम भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) भारत सरकार से सबंधित मंत्रालय एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड से अनुमति हेतु सम्बन्ध स्थापित करेगा । उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण हेतु आवेदन, निर्धारित प्रपत्र पर समस्त वांछित संलग्नकों सहित पूर्ण कर भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) को प्रस्तुत किया जायेगा । तत्पश्चात् भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) उस प्रस्ताव को भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय को सन्दर्भित करने के साथ-साथ अनुमति हेतु उत्तराखण्ड सरकार को भी संदर्भित करेगा ।

2. विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट एवं वीजा के साथ- साथ उत्तराखण्ड प्रदेश के उन क्षेत्रों का इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य होगा, जिस इनर लाइन क्षेत्र में वे जाना चाहते हैं ।

3. प्रदेश सरकार नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरता है, पर आरोहण की अनुमति नहीं देगी।

(ब) भारतीय नागरिकों द्वारा प्रस्ताव

1. भारतीय नागरिकों हेतु आवेदन पत्र भी भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) द्वारा ही प्रेषित किया जायेगा । पर्वतारोहण अभियान हेतु प्रस्तावों का निस्तारण एवं अनुमति की समस्त प्रक्रिया उसी प्रकार निस्तारित की जायेगी, जैसे विदेशी नागरिकों के प्रकरण में की जायेगी । भारतीय नागरिकों के प्रकरण में शुल्क एवं जमानत का स्वरूप अलग होगा ।

प्रदेश सरकार को सन्दर्भित करनाः-

अभियान दल की तरफ से भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) अभियान के प्रस्तावित अवधि के कम से कम चार सप्ताह पूर्व प्रदेश सरकार को प्रकरण को संदर्भित करेगा । उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को इस हेतु नियुक्त किया गया है । प्रदेश सरकार से संबंधित समस्त प्रकरण निम्न पते पर भेजे जायेंगे :

प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव
नैनीताल
कैम्प - कार्यालय चन्द्रबनी
देहरादून उत्तराखण्ड

प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति :- अभियान दल के तरफ से प्राप्त आवेदन पत्र, भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान(फाउण्डेशन) द्वारा अपर प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को भेजा जाने वाला प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित फार्म संख्या- 1 पर भेजा जायेगा। भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन), पर्वतारोहण दल द्वारा भरे गए उक्त आवेदन पत्र को भलीभांति जांच कर पर्वतारोहण अभियान प्रारम्भ करने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम चार सप्ताह पूर्व प्रदेश सरकार को अग्रसारित करेगा । अपूर्ण प्रस्ताव वापस किये जा सकते हैं ।

अपर प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक उक्त प्रस्तावों का भली-भांति परीक्षण कर इसकी अनुमति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना उनके कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित कर भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) , दिल्ली को उपलब्ध करा देंगे । प्रस्तावित अभियान कार्यक्रम की स्वीकृति की प्रति रूट मैप तथा अभियान दल के सदस्यों की सूची के साथ संबंधित जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेज दी जायेगी। उपरोक्त समस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय स्टाफ को प्रस्तावित अभियान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर देंगें ।

प्रदेश सरकार एवं सबंधित मंत्रालयों द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर भारतीय पर्वतारोण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) एक अनुमति पत्र जारी करेगा । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान(फाउण्डेशन) द्वारा इस अनुमति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को भी भेजी जायेगी । यह पत्र संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनापत्ति दिये जाने का प्रमाण पत्र होगा । यह पत्र विदेशी नागरिकों के प्रकरण में संपर्क अधिकारी तथा भारतीय नागरिकों के प्रकरण में दल प्रमुख द्वारा वन विभाग के उस कर्मचारी को दिया जायेगा, जो पर्वतारोण अभियान चैक पोस्ट का प्रभारी है । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) द्वारा अभियान दल के संपर्क अधिकारी अथवा दल प्रमुख को निर्देशित किया जायेगा कि वे इनर लाइन परमिट हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी से परमिट प्राप्त करेंगे तथा संबंधित वन प्रभाग अथवा संरक्षित क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी को पर्वतारोहण अभियान चैक पोस्ट पर अभियान दल के पहुंचने की तिथि एवं समय की सूचना 48 घण्टे पूर्व देंगें । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान के उक्त अनुमति पत्र के आधार पर उप जिलाधिकारी तथा .प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इनर लाइन परमिट व अन्य समस्त वांछित अनुमति स्वतः ही दी जायेगी । वन विभाग द्वारा विभिन्न पर्वतारोहण रूट हेतु पर्वतारोहण अभियान चैक चौकियों (पोस्ट) को चिन्हित किया गया है।

कूड़े की सफाई हेतु कार्य :- अभियान के शुरू होने से पूर्व संपर्क अधिकारी अथवा दल प्रमुख द्वारा जैसी स्थिति हो, समस्त जैविक (सड़नशील) एवं अजैविक (असड़नशील) वस्तुओं की घोषणा पर्वतारोहण अभियान चैक पोस्ट पर की जायेगी जो टीम में साथ ले जाया जा रहा है । दल प्रमुख द्वारा विदेशी नागरिकों के प्रकरण में रू0

10,000/- मात्र एवं भारतीय टीम हेतु रू0 5,000/- मात्र की जमानत को संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को पर्वतारोहण अभियान चैक पोस्ट पर दिया जायेगा ।

पर्वतारोहण अभियान दल वापसी के उपरान्त फार्म नं0 2 पर घोषणा करेगा कि अभियान दल द्वारा विभिन्न कैम्पों से समस्त अजैविक (असड़नशील) कचड़ों को उचित ढंग से निस्तारित कर दिया गया है। टीम द्वारा उक्तानुसार एकत्रित किये गये अजैविक (असड़नशील) कचड़ों की घोषणा की जायेगी तथा इसको पर्वतारोहण चैकपोस्ट व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इंगित किए गए किसी उचित स्थल पर जमा किया जायेगा। इस घोषणा के प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद संबंधित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा असड़नीय कूड़ों की सुरक्षित वापसी का प्रमाण-पत्र दिये जाने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी। एकत्रित अजैविक कचड़े को अभियान चैकपोस्ट से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित रिसाइक्लिंग स्थल तक ढुलान का कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक पर्वतारोहण अभियान दल द्वारा वसूल किये गये शुल्क को भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) उत्तराखण्ड सरकार को अवमुक्त करेगा जिसका उपयोग क्षेत्र के दीर्घकालीन पर्यावरण सुरक्षा हेतु किया जायेगा।

पर्याप्त भोजन एवं ईधन की आपूर्ति :- जन संपर्क अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्येक अभियान दल में एक चिकित्सक सहित अधिकतम 10 सदस्य होंगे । इसके अतिरिक्त दो अन्य पर्वतारोहियों को निर्धारित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के उपरान्त अनुमति दी जा सकती है। अधिकतम चार पोर्टर/ गाइड/ शेरपा अभियानदल के प्रति पर्वतारोही सदस्या के साथ बेस कैम्प तक जा सकते हैं । किसी भी तरह बेस कैम्प से पीक कैम्प तक जाने हेतु केवल दो पोर्टर/ गाइड/ शेरपा ही अनुमन्य होंगे।

किसी रूट से विशेष पर्वत चोटी हेतु पर्वतारोहण अभियान को प्रति कैलेण्डर माह में अधिकतम दो बार तक सीमित किया जायेगा । प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में किसी पर्वत चोटी विशेष अथवा इसके समीपस्थ चोटी हेतु बारह पर्वतारोहण अभियान नही आयोजित किया जायेगा । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) दल के सदस्यों की संख्या, पोर्टर/ गाइड/ शेरपा की संख्या तथा पर्वतारोहण अभियान की आवृति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गए उक्त प्राविधान अनुसार नियंत्रित करेगा । प्रत्येक अभियान दल को भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) के माध्यम से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को उनके अभियान दल के बारे में समस्त सूचना का अक्षरशः पालन करना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों (संलग्नक-प्प् में दिये गये अनुसार) स्थानीय टूर- आपरेटर, गाइड, सहायक एवं पोर्टर को प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से पंजकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा ।

उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतारोहण अभियान के दौरान पालन किये जाने वाली शर्ते एवं नियमः-

1. **सहायक दल द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अभियन के दौरान साथ जाने वाले पोर्टर, सहायक, गाइड में से कम से कम पचास प्रतिशत स्थानीय लोग लिए जायेंगे ।**

2. **प्रत्येक अभियान दल, अजैविक (असड़नशील) कचड़ों को पर्वतारोहण चैक पोस्ट पर वापस/ हस्तान्तरित करेगा एवं इस आशय का आश्वासन देगा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों का पालन करेगा।**

3. **अभियान दल के सदस्यों को अभियान के दौरान घटित किसी दुर्घटना/ मृत्यु अथवा सम्पत्ति की हानि हेतु राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।**

4. **अभियान दल द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रवास के दौरान समस्त संगत प्रचलित नियमों/ कानूनों का पालन सुनिश्चित करना होगा।**

5. **प्रत्येक अभियानदल को अभियान हेतु निर्धारित रूट से मार्ग तय करना एक बाध्यता होगी । विशेष परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विचलन की अनुमति मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदान की जायेगी। अभियान दल के प्रमुख को इस प्रकार के विचलन यथा शीघ्र उस क्षेत्र के स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी की जानकारी में लाना होगा।**

6. **अभियान दल अपने साथ ऐसा कोई भी हथियार अथवा हानि पहुंचाने वाले पदार्थ को नहीं ले जायेगा जिससे वन्य जीव एवं उनके वास स्थलों को क्षति पहुंचती हो या किसी वन्य जीव को मार सके । पर्वतारोहण टीम, अभियान के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध शिकार, अग्नि घटना, आग जलाना या किसी भी वन्य जीव, पेड़ जड़ी-बूटी अथवा साइन बोर्ड को नहीं हटायेगी या नुकसान करेगी ।**

7. **अभियान दल अपने साथ पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल/ एल0पी0जी0, भोजन बनाने एवं अन्य उपयोग हेतु रखेगी। अभियान के दौरान ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना पूर्णतया प्रतिबंधित है ।**

8. **अभियान दल सभी प्रकार के जल को प्रदूषित करने से बचायेगा।**

9. **प्रत्येक अभियान दल को पर्याप्त संख्या में थैले/ कन्टेनर रखने होंगे, जिसमें उत्पादित अजैविक कचड़ें को ट्रांजिट एवं बेस कैम्प से वापस लाकर पर्वतारोहण अभियान चैक पोस्ट पर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।**

10. **अभियान दल को मार्ग में उपलब्ध संसाधनों (ठहरने, भोजन, परिवहन हेतु) जैसे वन विश्राम भवन, पर्यटक विश्राम भवनों तथा स्थानीय ग्रामीणों के पास उपलब्ध होमस्टे सुविधाओं आदि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।**

उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण अभियान हेतु सेवा देने वाले स्थानीय टूर संचालकों हेतु दिशा निर्देश :- स्थानीय टूर संचालक, जो पर्वतारोहण हेतु असंगठित मजदूर व कोई अन्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, को निम्न शर्तो के आधार पर स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत किया जाना होगा। उनका पंजीकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निम्न प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा।

1. **जिन जिलों में वे कार्य कर रहे हैं, वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।**

2. **चरित्र सत्यापन (प्रमाण पत्र) आवश्यक है।**

3. **वार्षिक पंजीकरण के समय रू**0 1,000/- **मात्र की जमानत धनराशि जो स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी के पक्ष में अनुबंधित होगी, जमा की जायेगी । प्रत्येक टूर संचालक न्यनतम रू**0 100/- **मात्र वार्षिक पंजीकरण शुल्क के रूपमें जमा करेगा ।**

4. **प्रत्येक टूर संचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने साथ कार्य करने वाले स्थानीय पोर्टर को भी प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करावें एवं पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्यतः प्रत्येक वर्ष माह फरवरी तक कराना सुनिश्चित करें ।**

5. **केवल स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी के यहां पंजीकृत पोर्टर को ही पर्वतारोहण अभियानदल के साथ उच्च पर्वतीय स्थलों पर जाने की अनुमति होगी ।**

6. **टूर संचालकों को स्थानीय पोर्टर्स का सामूहिक जीवन बीमा भी कराना अनिवार्य होगा ।**

7. **पोर्टर्स को चालू वित्तीय वर्षा हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मजदूरी को दरों से कम भुगतान नहीं किया जायेगा ।**

8. **टूर संचालकों को पर्वतारोहण अभियान दल के साथ जाने वाले पोर्टर हेतु उचित एवं आवश्यक परिधान, उनका बीमा, राशन एवं पर्याप्त ईधन की व्यवस्था करना होगा ।**

9. **पोर्टस/ सहायक/ गाइड को अपने पंजीकरण हेतु वन विभाग को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है । प्रत्येक टूर संचालक, उनके साथ कार्य करने वाले पोर्टर/ सहायक/ गाइड को पर्यावरणीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा कार्यशाला में शामिल कराना सुनिश्चित करेंगें ।**

10. **इस कार्यशाला के आयोजन के व्यय की प्रतिपूर्ति अभियान शुल्क जो राज्य सरकार को पर्वतारोहण से प्राप्त होगा, उससे किया जायेगा । इस कार्यशाला का प्रशिक्षण का कार्यवृत्त स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में लिपिबद्ध किया जायेगा तथा इसकी प्रतियां प्रत्येक हितकारी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को भेजी जायेगीं ।**

11. **प्रत्येक स्थानीय टूर संचालक को अपने कार्यालय स्थापित करना होगा एवं उसका स्पष्ट पता का उल्लेख करना होगा ।**

12. **पोर्टर द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम , वन संरक्षण अधिनियम एवं अन्य पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित पोर्टस/ हैल्पर/ गाइड के साथ-साथ वह टूर संचालक भी जिम्मेदार होगा जिसके साथ वह पोर्टर पंजीकृत है । पोर्टर/ गाइड/ सहायक द्वारा किसी भी नियम, अधिनियम के उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में टूर आपरेटर जिम्मेदार होगा ।**

उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण में लगने वाले शुल्कों की दर

(पर्वतारोहण अभियान शुल्क)

1. **पर्यावरण अभियान हेतु शुल्क की दरें निम्नवत होंगी** :-

1.1 **उत्तराखण्ड में स्थित निर्दिष्ट चोटी की निर्धारित रायल्टी (पीक फी)**

1.2 **रास्ते में पड़ने वाले कैम्प साइड फी (ट्रांजिट कैम्प तथा बेस कैम्प) ट्रेल मैनेजमेंट शुल्क**

1.3 **राज्य सरकार का सेवा एवं प्रबन्धन शुल्क**

1.4 **पर्यावरण शुल्क**

1.5 **राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार शुल्क (जहां अनुमन्य है)**

1.6 **राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार में व्यावसायिक फिल्म तैयार करने का शुल्क(जहां अनुमन्य है)**

विदेशी पर्वतारोहण दल हेतुः-

(भारतीय र में)

चोटी की ऊंचाई	10 पर्वतारोही सदस्यों हेतु पीक फ़ी	कैंम्पिंग साइट फ़ीस तथा ट्रेल मैनेजमेंन्ट फ़ी	पर्यावरणीय शुल्क	उत्तराखण्ड सरकार का सेवा तथा प्रबन्धन शुल्क	योग
7001 मी० से ऊपर	40000-60000	10000	20000	10000	80000
6501 से 7000 मीटर के मध्य	25000	10000	20000	10000	65000
6500 मीटर से नीचे	20000	10000	20000	10000	55000

भारतीय पर्वतारोहण देल हेतुः

चोटी की ऊंचाई	10 पर्वतारोही सदस्यों हेतु पीक फ़ी	कैंम्पिंग साइट फ़ीस तथा ट्रेल मैनेजमेंन्ट फ़ी	पर्यावरणीय शुल्क	उत्तराखण्ड सरकार का सेवा तथा प्रबन्धन शुल्क	योग
7001 मी० से ऊपर	6000	3000	2000	3000	14000
6501 से 7000 मीटर के मध्य	4000	3000	1500	3000	11500
6500 मीटर से नीचे	3000	3000	1500	3000	10500

भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) द्वारा विदेशी पर्वतारोहियों से प्रत्येक चोटी के लिए/ US Dollars 400 **के रूप में जमा किये जाते हैं।**

2. उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण अभियान शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित शर्तें एवं मानक :-

2.1 पर्वतारोहियों की सुविधा हेतु शुल्क जमा करने हेतु एकल खिड़की निस्तारण की विधि को अपनाया जायेगा ।

2.2 भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) द्वारा पर्वतारोहण अभियान दल में प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति सम्मिलित करने पर रू0 20/- अतिरिक्त पीक फीस प्रति व्यक्ति उत्तराखण्ड सरकार को देय होगा। अतिरिक्त व्यक्तियों की सीमा अभियान दल में 10 सदस्यों के बाद अधिकतम मात्र दो होगी।

2.3 समस्त संयुक्त अभियान पर्वतारोहण अभियान शुल्क की गणना की दृष्टि से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विदेशी अभियान की श्रेणी में गिने जायेंगे ।

2.4 यदि अभियान दल का यह मार्ग राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार से होकर जाता है , तो दल को अतिरिक्त रू0 2,000/- मात्र की धनराशि प्रवेश शुल्क के रूप में प्रति टीम जमा करना पड़ेगा ।

2.5 अभियान कार्यक्रम की समाप्ति पर, स्थानीय वन क्षेत्राधिकारी को पर्यावरण चैक पोस्ट पर अजैविक कचड़े को अभियान दल द्वारा वापस कर दिया जाता है तथा इसकी घोषणा कर दी जाती है तो विदेशी पर्यटक द्वारा जमा जमानत रू0 10,000/- एवं भारतीय द्वारा रू0 5,000/- की धनराशि जो अजैविक कचड़ों के निस्तारण हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा थी, वपास कर दी जायेगी ।

2.6 सरकारी संस्थान, जैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, को प्रशिक्षण हेतु पीक फी, पर्यावरण शुल्क तथा उत्तराखण्ड सरकार का सेवा तथा प्रबन्धन शुल्क में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी परन्तु इन संस्थानों द्वारा कैम्पिंग साइट शुल्क तथा उसी अनुरूप देय होगा जो एक भारतीय पर्वतारोहण अभियान दल पर लागू है परन्तु इन पर्वतारोहण संस्थानों द्वारा प्रायोजित अभियान कार्यक्रमों हेतु कोई छूट नहीं होगी । ऐसे समस्त संस्थान, शुल्क में छूट हेतु 50 दिन पूर्व में प्रशिक्षार्थियों की संख्या, प्रशिक्षकों की संख्या तथा ऐसे शुल्क के समस्त मामलों का अभिलेख रखेंगे। ये प्रशिक्षण दिलाने, वैज्ञानिक शोध के समय सहायता देने, साहसिक गतिविधियों के संबंध में तकनीकी राय देने तथा खोजी एवं बचाव अभियान हेतु समय-समय पर राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेंगे।

2.7 जो व्यक्ति व्यवसायिक फिल्मों का चित्रांकन राष्ट्रीय पार्कों एवं विहारों में करने के इच्छुक हैं वे निर्धारित फीस के साथ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को उसी समय ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे जिस समय उनके अभियान दल हेतु प्रार्थना पत्र मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को संदर्भित किया जाता है।

2. राष्ट्रीय पार्कों/वन्यजीव विहारों में व्यवसायिक फिल्मों का चित्रांकन हेतु षुल्क दरें निम्न प्रकार हैं:-

(उत्तराखण्ड सरकार जी0ओ0 सं0 1985/ 1(2) वन एवं ग्रामीण विकास/ 2002-12(72)/ 2001 दिनांक 26.10.2002)

क्रम संख्या	निर्धारित गतिविधि	निर्धारित शुल्क (भारतीय रु० में)	
1.	फ़िल्मांकन	भारतीय	विदेशी
	(अ)फ़ीचर फ़िल्म फ़िल्मांकन प्रति दिन	20,000/-	20,000/-
	(ब)वृत्त चित्र फ़िल्मांकन प्रति दिन	2,500/-	5,000/-
2.	फ़िल्मांकन हेतु जमानत की धनराशी		
	(अ)फ़ीचर फ़िल्म हेतु प्रति दिन	50,000/-	1,00,000/-
	(ब)वृत्त चित्र हेतु प्रति दिन	25,000/-	50,000/-